

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक क्रमांक:- शिविरा-मा/सी-2/स्थानान्तरण/इतिहास /2019-20 दिनांक:-29.09.2019 के तहत वीणा गुप्ता व्याख्याता इतिहास का स्थानान्तरण राउमावि, शाहपुरा, जयपुर से राउमावि, गोविन्दगढ़, पीसांगन, अजमेर किया गया। वीणा गुप्ता ने अपने स्थानान्तरण के विरुद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 761/2020 वीणा गुप्ता बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर दायर की।

माननीय अधिकरण के निर्णय/आदेश दिनांक 11.08.2020 द्वारा अपीलार्थी को अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग को राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर अपीलार्थी को सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी वीणा गुप्ता ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के स्थानान्तरित स्थान का 225 कि.मी की दूरी होना और अपने पति के सीवियर रेटिनल डिटेचमेन्ट गम्भीर रोग से पीडित होने के आधार पर निम्नलिखित रिक्त पदों:- 1.राउमावि हरमाडा, जयपुर 2.राउमावि गौनेर, जयपुर 3.राउमावि, दुर्गापुरा,जयपुर 4.राउमावि, मालवीय नगर, जयपुर 5.राउमावि ढाणी कुमावतान, जयपुर 6. राउमावि, विगं-2,सांगानेर, जयपुर के रिक्त पदों पर पदस्थापन करने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

यह विधि सुस्थापित सिद्धान्त है कि लोकसेवकों द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन/स्थानान्तरण की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती, अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए किए गए स्थानान्तरण आदेश में राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों दिनांक 24.09.2019 एवं सेवा नियमों का उल्लंघन नहीं पाया गया। उक्त आधार पर अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में प्रस्तुत यथावत/वांछित स्थान पर पदस्थापन हेतु की गई मांग नियमानुकूल/तर्कसंगत नहीं होने के कारण खारिज योग्य पाये जाने के आधार पर एतद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों।


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.
निदेशक


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक:- 16/10/2020

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-2/अभ्यावेदन/वीणा गुप्ता/को.के/20-21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय),
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
5. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जयपुर
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्रधानाचार्य
9. संबंधित कार्मिक
10. गार्ड पंजिका।


संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर